न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 21/2021/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 8.9.2021
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. रघुवीर पुत्र मंगल दास जाति बैरागी
2. अजोध्या पुत्री मंगल दास जाति बैरागी
3. मन्जू पुत्री मंगल दास जाति बैरागी
   निवासीगण गुढानाथावत (बिशनपुरा) तहसील बूंदी जिला बूंदी–राज0।

...अपीलार्थीगण

बनाम

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी (राज0)

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री उत्तपल शर्मा अभिभाषक–अपीलार्थीगण
पैरोकार सरकर – रेस्पोडेन्ट

::निर्णय::

दिनांक 19.6.2024.

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 74/2018 अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट उनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी बनाम रघुवीर वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 26.2.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार बूंदी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बिशनपुरा की जमाबंदी सं0 2072–75 की खाता सं0 140 मे ख0 नं0 1625 रकबा 13 बिस्वा 14 बिस्वा किस्म बाराजी रघुवीर नि0 मंगलदास, अजोध्या मन्जू पुत्रीया मंगल दास कौम बैरागी सा0 गुढानाथावत के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज है। सेटलमेंट से पूर्व उक्त आराजी के पुराने ख0 नं0 899 रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा किस्म झाडीदार वन सिवायचक दर्ज रेकार्ड है मंगलदास को आवंटन होने का कोई रेकार्ड उपलब्ध नही है अतः ख0 नं0 1625 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा सिवायचक दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26.2.21 पारित कर वादग्रस्त भूमि की अप्रार्थीगण की गैरखातेदार के रूप मे दर्ज प्रविष्टी मे संशोधन के आदेश दिये जाकर भूमि वापस सं0 2019–22 अनुसार से दर्ज करने आदेश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट के दौरान हुए खसरा परिशोधन पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालयो के निर्णय के मुताबिक विवरण विशेष खाने की प्रविष्टी मिसल नं0 365 तारीख 22.6.1962 को एडवाईजरी कमेटी के द्वारा आपीलांट के पिता मंगलदास को आवंटित होने पर गैरखातेदारी मे दर्ज किया गया जिसकी पासबुक 3/26.4.88 अपीलांट के पिता के नाम जारी की गई। उक्त तथ्यों की अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच नही की। तहसीलदार द्वारा धारा 136 एजआरएक्ट की कार्यवाही 56 वर्षो

के बाद पेश की गई जो अपने आप मे रेवेन्यू रेकार्ड के विरूद्ध जिसके विपरीत कथन से स्टोप्ड है। सेटलमेंट ने जो प्रविष्टी की है वह एडवाईजरी कमेटी के आदेश मि 365/आर 22.6.1962 के आधार पर की है जो सेटलमेट विभाग के अधिकार की है। आवंटन का कोई रेकार्ड नही होने संबधी रेस्पो0 के कथन *पर्याप्त आधार नही, कथन सशपथ किसी अधिकारी अथवा तहसीलदार बूंदी का नही होने से कथन की पुष्टि नही होती है। इस कारण जेरअपील निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिज निरस्तनीय है। धारा 136 एलआरएक्ट मे मात्र लिपिकीय त्रुटि को आपसी सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करनी है तो घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी रेस्पो0 को प्रारम्भ से ही होने के बावजूद धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही प्रस्तुत की जो मेन्टेनऐबल नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्यों को नजरअंदाज कर जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय 26.2.2021 निरस्त किया जावे।*

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषाक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 1625 रकबा 13 बिस्वा 14 बिस्वा किस्म बारानी गैरखातेदारी मे दर्ज होकर कब्जे काश्त की भूमि है जो सेटलमेंट के दौरान हुए खसरा परिशोधन पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालयो के निर्णय के मुताबिक विवरण विशेष खाने की प्रविष्टी मिसल नं0 365 तारीख 22.6.1962 को एडवाईजरी कमेटी के द्वारा आपीलांट के पिता मंगलदास को आवंटित होने पर गैरखातेदारी मे दर्ज किया गया जिसकी पासबुक 3/26.4.88 अपीलांट के पिता के नाम जारी की गई। तहसीलदार द्वारा धारा 136 एजआरएक्ट की कार्यवाही 56 वर्षो के बाद पेश की गई जो अपने आप मे रेवेन्यू रेकार्ड के विरूद्ध है तथा जिसके विपरीत कथन से स्टोप्ड है। सेटलमेंट ने जो प्रविष्टी की है वह एडवाईजरी कमेटी के आदेश मि 365/आर 22.6.1962 के आधार पर की है जो सेटलमेट विभाग के अधिकार की है। आवंटन का कोई रेकार्ड नही होने संबधी रेस्पो0 के कथन *पर्याप्त आधार नही कथन सशपथ किसी अधिकारी अथवा तहसीलदार बूंदी का नही होने से कथन की पुष्टि नही होती है। इस कारण जेरअपील निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिज निरस्तनीय है। धारा 136 एलआरएक्ट मे मात्र लिपिकीय त्रुटि को आपसी सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करनी है तो घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी रेस्पो0 को प्रारम्भ से ही होने के बावजूद धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही प्रस्तुत की जो मेन्टेनऐबल नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्यों को नजरअंदाज कर जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरबीजे (24) 2017 पेज 439 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय 26.2.2021 निरस्त करने का अनुरोध किया।*

4 रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार ने जेरअपील निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपील मियाद बाहर पेश की है। डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एंव स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार कर पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की

अति. सं. आयुक्त

पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 26.2.21 के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार बूंदी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र बावत ग्राम बिशनपुरा की जमाबंदी सं0 2072–75 की खाता सं0 140 मे ख0 नं0 1625 रकबा 13 बिस्वा 14 बिस्वा अपीलांट की गैरखातेदारी मे दर्ज भूमि जिसके सेटलमेंट से पूर्व पुराने ख0 नं0 899 रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा दर्ज रेकार्ड का मंगलदास को आवंटन होने का कोई रेकार्ड उपलब्ध नही होने से सिवायचक दर्ज किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26.2.21 पारित कर वादग्रस्त भूमि की अप्रार्थीगण की गैरखातेदार के रूप मे दर्ज प्रविष्टी मे संशोधन के आदेश दिये जाकर भूमि वापस सं0 2019–22 अनुसार से दर्ज करने करने का जेरअपील निर्णय पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट के दौरान हुए खसरा परिशोधन पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालयो के निर्णय के मुताबिक विवरण विशेष खाने की प्रविष्टी मिसल नं0 365 तारीख 22.6.1962 को एडवाईजरी कमेटी के द्वारा आपीलांट के पिता मंगलदास को आवंटित होने पर गैरखातेदारी मे दर्ज किया गया जो सेटलमेट विभाग के अधिकार की है। जिसकी पासबुक 3/26.4.88 अपीलांट के पिता के नाम जारी की गई। तहसीलदार द्वारा धारा 136 एजआरएक्ट की कार्यवाही 56 वर्षो के बाद पेश की गई आवंटन का कोई रेकार्ड नही होने संबधी रेस्पो0 का कथन पर्याप्त आधार नही है धारा 136 एलआरएक्ट मे मात्र लिपिकीय त्रुटि को आपसी सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करनी है तो घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी रेस्पो0 को प्रारम्भ से ही होने के बावजूद धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही प्रस्तुत की जो मेन्टेनऐबल नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्यों को नजरअंदाज कर जेरअपील निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबध मे जेरअपील निर्णय पत्रवली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही लगभग 56 वर्षो बाद पेश की गई जिसका कोई न्यायोचित आधार ''अभिमत'' जेरअपील निर्णय मे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकट नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मंगलदास को आवंटन होने का कोई रेकार्ड उपलब्ध नही होने से वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने का निर्णय पारित किया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता क्योंकि रेकार्ड के संधारण व उपलब्धता संबधित कार्यालय/अधिकारी की होती है कार्यालय मे रेकार्ड उपलब्ध नही होने मात्र से 56 वर्ष बाद अपीलांट के हक व अधिकारों के विपरीत जेरअपील आदेश पारित किया गया जिसे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे उचित नही ठहराया जा सकता। प्रकरण मे यह तथ्य भी विचारणीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही मे पारित किया है। **''राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे''**। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर भर गौर नही कर जेरअपील निर्णय पारित किया है धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित उपरोक्त विवेचित प्रावधानों के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक नजीर आरबीजे (24) 2017 पेज 439 चस्पा होती है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बूंदी द्वारा प्रकरण सं0 74/18 सरकार बनाम रघुवीर वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 26.2.2021 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित/रिमाड किया जाता है कि निर्णय विवेचित उपरोक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलांट्स विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये वादग्रस्त आराजी के संबध मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 19.6..2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा